



Central Pollution Control Board
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi – 110032.

F.No. C-22017/10/2016/Admn.(Coord)/558

the 20th October, 2021

CIRCULAR

This is to inform that a free Covid-19 Vaccination camp to prevent Covid-19 will be organized by SDM office in CPCB premises on 21.10.2021 at 10:00 AM onwards for the employees of CPCB and their dependents, whose age is 18+ or above. It is requested to those who are willing for vaccination, may please bring their Aadhar Card at the time of Vaccination. The 2nd dose of vaccination will be allowed only after completion of 84 days from the day of 1st vaccination. All Divisional Heads are requested to kindly submit the Proforma (enclosed) in advance to the Coordination & Medical Claims Division.

02. This issues with the approval of the Competent Authority of CPCB.

MOST URGENT

Savita Gupta
(Savita Gupta)

Section Officer (C&M Div.)

Distribution :

1. All Divisional Head - : with a request to circulate it amongst the staff working under them.
2. PA to CCB : for information please
3. AO to MS : for information please
- ✓ 4. Divisional Head IT : with a request to upload it on the CPC Bwebsite.
5. AO Master file
6. I/c PR Cell : with a request to arrange tea, snacks & lunch on 21.10.2021 for 20 persons please.

P.T.O.
Proforma



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर

दिल्ली-110032

F.No. C-22017/10/2016/Admn.(Coord) 558

दिनांक : 20.10.2021

परिपत्र

यह सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसर में एसडीएम कार्यालय द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों और उनके आश्रितों, जिनकी आयु 18+ या उससे अधिक है, के लिए दिनांक 21.10.2021 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से एक निः शुल्क टीकाकरण शिविर आयोजित किया जाएगा। उन कर्मचारियों से अनुरोध है जो टीकाकरण के इच्छुक हैं, कृपया टीकाकरण के समय अपना आधार कार्ड साथ लायें। पहले टीकाकरण के 84 दिन पूरे होने के बाद ही टीकाकरण की दूसरी खुराक की अनुमति दी जाएगी। सभी प्रभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि कृपया समन्वय और चिकित्सा दावा प्रभाग को अग्रिम रूप से निर्धारित प्रोफार्मा (सलंगन) अग्रिम रूप से समन्वय एवं चिकित्सा अनुभाग में जमा करें।

2 यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सविता गुप्ता
(सविता गुप्ता) 20/10/21

अनुभाग अधिकारी

वितरण:

1. सभी प्रभाग प्रभारी : कृपया इसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को परिचालित करें।
2. अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड के निजी सचिव : सादर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव के प्रशा अधिकारी : सादर सूचनार्थ।
4. प्रभाग प्रभारी सूचना प्रौद्योगिकी : कृपया इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. प्रशा अधिकारी की मास्टर फाइल
6. प्रभारी जनसंपर्क अनुभाग : उक्त तिथि को 20 व्यक्तियों की , जलपान, नाश्ता और दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने हेतु।

